बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (नालन्दा) 02–85/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, नालन्दा के पत्रांक–6423 दिनांक–30.09.2024 द्वारा **श्री उदय प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नूरसराय, नालन्दा** के विरूद्ध मौजा–बेगमपुर में खाता सं०–331/218, खेसरा सं0–3122 गैरमजरूआ मालिक किस्म भिण्ड पोखर भूमि की जमाबंदी बिना सक्षम कागजात एवं आधार के व्यक्ति विशेष के नाम से कायम करने, सरकारी भूमि के संरक्षण के प्रति लापरवाही, अवैध कार्य करने, अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर चूक करने, लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता जैसे आरोप प्रतिवेदित किये गये।

2. प्राप्त आरोप पत्र को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–2331(15), दिनांक–13.11.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री प्रसाद द्वारा प्रखंड कार्यालय, किशनपुर, सुपौल के पत्रांक–1850 दिनांक–23.12.2024 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों, श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण के परिशीलन एवं समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लेते हुए विभागीय संकल्प सं0–731(15) दिनांक–13.05.2025 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, नालन्दा** को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार शरीफ** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, नालन्दा के पत्रांक–694, दिनांक–09.06.2026 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें पहले आरोप को अप्रमाणित तथा दूसरे आरोप को प्रमाणित अंकित किया गया।

5. आरोपी पदाधिकारी से प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–1180(15) दिनांक–03.08.2026 से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री प्रसाद द्वारा अपना अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) दिनांक–18.08.2026 से विभाग को समर्पित किया गया।

6. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के अवलोकनोपरान्त/समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा दाखिल–खारिज वाद सं0–980/2016–17 के माध्यम से सरकारी भूमि का दाखिल–खारिज करते हुए जमाबंदी कायम की गई है एवं इसके लिए जबावदेह कारण के रूप में राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन / अनुशंसा तथा राजस्व कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों यथाः आपदा प्रबंधन, विधि व्यवस्था, थाना जनता दरवार, CWJC/MJC एवं अन्य में व्यस्तता के कारण उक्त वाद में सूक्ष्म रूप से जांच करने में चूक हो जाने का उल्लेख करते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ने का प्रयास किया गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि अंचल अधिकारी का दायित्व आँख मुंदकर

राजस्व कर्मचारी/राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन मात्र के आधार पर दाखिल–खारिज वाद को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाना नहीं होता है बल्कि सारे अभिलेखीय एवं स्थलीय तथ्यों/साक्ष्यो का अवलोकन करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाना होता है। उक्त दाखिल–खारिज से कायम प्रश्नगत जमाबंदी को अपर समाहर्त्ता के न्यायालय द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–151/2022–23 के माध्यम से रद्द कर दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कायम जमाबंदी अवैध थी। आरोपी पदाधिकारी द्वारा यदि अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के कार्यों का समुचित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया गया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इस स्तर पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य के प्रति शिथिलता, उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई है अथवा अपने निजी स्वार्थवश किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से यह चूक की गई है। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण–पृच्छा) स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

7. आरोपी पदाधिकारी का अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण–पृच्छा) स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

8. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री उदय प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नूरसराय, नालन्दा **सम्प्रति अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नालन्दा) 02–85/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, नालन्दा एवं वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालन्दा एवं वैशाली/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/ श्री उदय प्रसाद, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नालन्दा) 02–85/2024–2127.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–12/11/26

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री प्रसाद** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

12/11/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।